न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 155 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
सांगाराम पुत्र श्री विरधाराम उम्र 60 वर्ष जाति माली निवासी प्रभूओणी मालियों का वास, कुड़ला तहसील व जिला बाड़मेर	1. राणाराम पुत्र विरधाराम 2. रावताराम पुत्र विरधाराम 3. नारणाराम पुत्र दीपाराम 4. लखाराम पुत्र दीपाराम 5. अणदाराम पुत्र दीपाराम 6. मोतीराम पुत्र दीपाराम 7. मटकू देवी पत्नी दीपाराम 8. जेठाराम पुत्र तुलछाराम 9. मेवाराम पुत्र तुलछाराम 10. उतमाराम पुत्र तुलछाराम 11. सकीयों देवी पत्नी तुलछाराम जातियान माली निवासीयान प्रभूओणी मालियों का वास कुड़ला तहसील व जिला बाड़मेर 12. बंशीधर पुत्र जीवनलाल जाति जैन निवासी जुगतसिंह की गली, हमीरपुरा बाड़मेर 13. देवानन्द पुत्र परमानन्द जाति सिन्धी निवासी माल गोदाम रोड़ बाड़मेर 14. ओमप्रकाश पुत्र तगाराम जाति माली निवासी बोरावास पोस्ट तिलवाड़ा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 15. हरीशकुमार पुत्र बनाराम जाति सिन्धी निवासी मधुवन कॉलोनी बाड़मेर 16. रतनलाल पुत्र जोगाराम जाति नाई निवासी आजाद चौक बाड़मेर 17. विजयकुमार पुत्र भोजराज जाति सिन्धी निवासी महावीर नगर बाड़मेर 18. जिताराम पुत्र इन्द्राराम जाति

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	नाई निवासी सुथारों का वास, हरसाणी तहसील शिव जिला वाड़मेर 19. ओमप्रकाश पुत्र गगनदास जाति नाई निवासी बलदेव नगर वाड़मेर आगोर तहसील व जिला वाड़मेर 20. किशनाराम पुत्र रूगाराम जाति नाई निवासी हरसाणी तहसील शिव जिला वाड़मेर 21. मोहनी देवी पत्नी भोजराज जाति नाई निवासी शास्त्री नगर वाड़मेर 22. श्रीमान तहसीलदार वाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 172/2019 बअनवान राणाराम बनाम रावताराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 11.10.2023 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुरेश सोनी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुनिल के मेराजा रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—24.12.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस एवं उतरदाता संख्या 01 से 21 की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक सम्पति की भूमि मौजा प्रभूओणियों मालियों का वास, पटवार हल्का कुड़ला तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 656/449 रकबा 41.03 बीघा व खसरा संख्या 658/603 रकबा 107.01 बीघा भूमि आई हुई है। हस्तगत वाद के जरिये अपीलाधीन आराजी में वादी का 1/8 हिस्सा पूर्व में हुए मौखिक बंटवाड़ा अनुसार परिशिष्ट—अ में दर्शाये गये लाल रंग अनुसार विभाजित कर नक्शे में तरमीम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एकपक्षीय निर्णय कर डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सिणधरी से तलब करने का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मनों पर अपीलांटस की व्यक्तिगत तामील नहीं करवाई गई। सम्मन तामिल प्रक्रिया में आदेश 05 नियम 20 को अनदेखा किया गया है। उतरदाता संख्या 01 व 02 का वाद पत्र के साथ पेश किये गये परिशिष्ट अनुसार कब्जा नहीं है और न ही आज तक वादग्रस्त आराजी का बाहामी बंटवाड़ा हुआ। उतरदाता संख्या 01 व 02 ने न्यायालय को गलत तवज्जा दिलाकर एक ही खसरे 658/603 में बाड़मेर से सिणधरी जाने वाली रोड़ पर आने वाली सम्पूर्ण बेशकीमती भूमि अपने अकेले के नाम करवा ली जबकि इस खसरे में उतरदाता संख्या 01 को इतनी भूमि बंट में आती ही नहीं है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भिजवाये बावजूद सूचना के अपीलांटस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पारित की गई जो न्यायोचित है। हिस्सों को लेकर अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। हस्तगत अपील के जरिये अपीलांटस प्रकरण को अनावश्यक लंबा कर रहे हे। अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। इसका वास्तविक ज्ञान अपीलांट को दिनांक 06.12.2022 को हुआ तथा ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि हस्तगत अपील में अपीलांट द्वारा हिस्से को लेकर कोई आपति नहीं की गई जबकि अपीलाधीन निर्णय से हिस्से की घोषणा की गई है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अपीलांटस येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांटस की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर वादी/रेस्पोडेंटस को मिले खातेदारी अधिकारों से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तथ्यों के आलोक में तथा मेरी सुविचारित राय में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 172/2019 बअनवान राणाराम बनाम रावताराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 11.10.2023 को यथावत रखा जाता है।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर